संख्या:150/2026/646पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/41/2025-पार्ट(1)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 16 सितम्बर, 2026

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद आजमगढ़ में शासनादेश संख्या-45/2025/600पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/41/2025 दिनांक 29.03.2025 द्वारा 17 कार्यों में से शासनादेश के क्रमाकं-10 पर अंकित कार्य-**ग्रामसभा जिगरसंडी मे राजेंद्र यादव के घर से पीच रोड तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य** की रू0 33.89 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 16.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त एतदद्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2025 द्वारा क्रमांक-10 पर स्वीकृत उपर्युक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि रू. 16.94 लाख को तत्काल राजकोष में जमा कराकर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:150/2026/646(1)पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/41/2025- पार्ट (1) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रजण विभाग, आजमगढ़।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।